

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 29, शुक्रवार, शाके 1948- जून 19, 2026 Jyaistha 29, Friday, Saka 1948- June 19, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 26, 2025

संख्या प.9(66)राज-1/2025-26965:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व मण्डल अजमेर एवं जिला कलक्टर, सिरोही से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि सिरोही जिले की तहसील सिरोही, रेवदर, शिवगंज एवं पिण्डवाड़ा के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरे/ढाणी को एतदपश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-8 के अनुसार है:-

7 7 + क्र. सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी K M	मूल ग्राम का शेष क्षेत्रफल (है.में)
			ग्राम का नाम	भौगोलिक क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या 2011	ग्राम का नाम	भौगोलिक क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिरोही / सिरोही	गोयली / सिरोही	सारणेश्वर जी LG Code 89966	2833. 3000	910	बोकी भागली Boki Bhagali	1621. 1900	360	20	1212. 11
2	सिरोही / रेवदर	अनादरा / रेवदर	अनादरा LG Code 90284	2164. 8400	7058	ठेका मजरा Theka Majra	166.0 018	597	3	2035. 9640

			हड़मतिया LG Code 90285	396.6 398	2848				1. 5	359.5 140
3	सिरोही / शिवगंज	चुली / शिवगंज	राडबर LG Code 89923	1801. 9718	1276	राडबर भागली Radbar Bhagli	879.7 994	252	10	922.1 724
4	सिरोही / पिण्डवाड़ा	अजारी / पिण्डवाड़ा	अजारी LG Code 90062	1384. 0206	6970	फुटेला Phutela	554.0 533	2200	2	829.9 673
5	पिण्डवाड़ा	रामपुरा / पिण्डवाड़ा	जे.के. पुरम LG Code 914980	1479. 1583	1478	खारा Khara	312.4 268	622	3	1166. 7315
6	सिरोही / रेवदर	रेवदर / रेवदर	वासन LG Code 90277	1421. 1333	4592	कोचरीया खेड़ा Kochriya Kheda	484.0 275	937	2	937.1 058

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्रामों एवं नवघोषित राजस्व ग्रामों के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु जिला कलक्टर, सिरोही को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्रामों के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगे।

आज्ञा से,
बिरदी चंद गंगवाल,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।